ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 238-240
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

भारत से अवैध बांग्लादेशी धुसपैठियों का विस्थापन : एक बड़ी चुनौती

डा0 करूण कुमार गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, रामभजन पी0जी0 कॉलेज, चकहुसैन, थलईपुर, मऊ (उ0प्र0), भारत

Received-24.09.2023, Revised-27.09.2023, Accepted-30.09.2023 E-mail: karungupta292@gmail.com

सारांशः ***आज देश के सामने अवैध बांग्लादेशी धुसपैठियों के विस्थापन की समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में कई दशकों से जारी धुसपैठ के चलते जो तमाम बाहरी बांग्लादेशी मुस्लिम पश्चिम बंगाल व देश के अन्य राज्यों में आकर बस गये है तथा जिन्होने अवैध तरीकों से एजेन्टो व दलालों की मद्द से मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी प्राप्त कर लिए है। ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन रहे है। उनकी पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने के प्रयास भी किये जाने चाहिए। यह संभव है कि अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के सरकार द्वारा लिये जा रहे किसी भी प्रयास का तृणमूल कांग्रेस के साथ–साथ कांग्रेस और वामपंथी दल भी विरोध कर सकते है, इसके आसार इसलिए है, क्योंकि इन दलों के लिए अवैध धुसपैठिये एक वोट बैंक बन गये है। भारत में घुसपैठ की समस्या से केवल बंगाल ही पीड़ित नही है, बंगाल के अलावा असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी इस समस्या से ग्रसित है। इस तथ्य की अनदेखी नही की जा सकती है कि बंगाल के सीमा से सटे जिलों में जनसांख्यिकी भी बदल गई है। बांग्लादेश से सटे कुछ जिलों में मुस्लिमों की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है इस वृद्धि का एक कारण है सीमा उस पास से होने वाली धुसपैठ है।'संस्कृत साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ में "विवाह–सम्पन्न से पूर्व अग्निदेव के समक्ष स्त्रियों के नृत्य का संकेत मिलता है।"***

कुंजीभूत शब्द– अवैध, बांग्लादेशी धुसपैठियों, विस्थापन, दलालों, मतदाता, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड ।

"असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का दूसरा ड्राट जारी हुआ। इसमें 40 लाख लोगों पर देश के बाहर होने की बात कही जा रही है। वहीं एन.आर.सी. को लेकर बीजेपी, कांग्रेस से लेकर टी.एम.सी. जमकर राजनीति कर ही है। बीजेपी का कहना है कि यदि बंगाल में सरकार बनी वे छत्व पश्चिम बंगाल में भी जारी किया जाएगा। क्योंकि बड़ी तादात में बांग्लादेश से आए लोग पश्चिम बंगाल में आकर बसे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि बंगाल में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी धुसपैठिए है और हम एक–एक को निकालकर ही दम लेगें। यदि ऐसा होता है तो बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल–पुथल हो सकती है। खासकर बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के इलाकों में। क्योंकि असम की तरह यहा भी जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है, खासकर इसके पीछे अवैध रूप से भारत आए लोग कारण बताए जा रहे है। मीडिया की रिर्पोट्स को माने तो असम के अलावा उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैन्ड में भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी रहते है।

बार्डर मैनेजमेन्ट टास्क फोर्स की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 करोड़ बांग्लादेशी धुसपैठ कर चुके है और लगभग तीन लाख प्रतिवर्ष धुसपैठ कर रहे है। हाल के अनुमान के मुताबिक देश में 4 करोड़ धुसपैठिये मौजूद है। यही नही हाल के दिनों में बंगाल के कई इलाकों में हिन्दुओं के उपर होने वाले साम्प्रदायिक हमलों में बांग्लादेशी धुसपैठियों का ही हाथ रहा है।"[1]

"आमतौर इस तथ्य से सभी अवगत है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए लोगों ने असम, बंगाल आदि राज्यों के अनेक हिस्सों में जनसंख्या के असंतुलन को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ऐसी ही स्थिति बिहार और झारखण्ड में भी बन रही है। चिंता की बात यह भी है कि बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रोहिंग्या लोगों की भी देश में धुसपैठ हो रही है नेपाल और बंगाल से लगा बिहार का सीमावर्ती जिला पूर्णिया विभाजित होकर चार जिलों में बंट गया है। इसमें से एक किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य जिला है और कटिहार एवं अररिया में जिस प्रकार मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में ये जिले भी मुस्लिम बहुल हो जाएगें।

कटिहार जिले में बारसोई प्रखण्ड में 1961 में हिन्दू जनसंख्या 43549 थी, जो 1971 में बढ़ने के बजाय घटकर 40969 रह गई। अगस्त 1979 में असम में जब बांग्लादेशी धुसपैठ के खिलाफ वहॉ के लोगों ने आंदोलन छेड़ा, तब बिहार में भी हो रही धुसपैठ पर यहां के लोगों का ध्यान गया। 22 जुलाई 1981 को बिहार विधान सभा में एक चर्चा में तब जनता पार्टी के विधायक रहे गणेश प्रसाद यादव ने कहा था, श्पूर्णिया में बांग्लादेशी धुसपैठियों का आना जारी है आर ऊँची कीमतों पर जमीन खरीद कर बसते जा रहे है।श 19 जुलाई, 1982 को भाजपा के जनार्दन तिवारी ने एक प्रश्न पर तत्कालीन सरकार ने यह स्वीकार किया था कि कुछ धुसपैठियों को बांग्लादेश लौटाया गया है। बिहार सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार के निर्देश पर उसने धुसपैठियों की पहचान एवं उनके निष्कासन की योजना बनाकर उन्हें भेज दिया है।"[2] स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देश पर तब धुसपैठियों की पहचान कर उन्हे निष्कासन की योजना बनाकर उन्हे वापस भेज दिया। जानकार लोग बताते है कि धुसपैठियों को बाहर वापस भेजने के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई थी। आने वालों की संख्या असंख्य थी और वापस जाने वालों की संख्या नगण्य थी।

"पिछले महिने कटिहार रेलवे स्टेशन पर कई रोहिंग्या युवतियां पकड़ी गई, जिन्हे बांग्लादेशी नजरूल दिल्ली भेज रहा था। पिछले साल अक्टूॅबर में दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी अशरफ के पास से जो पासपोर्ट मिला था, उसे किशनगंज के एक सरपंच ने बनवाया था। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र बनवाकर देश की सुरक्षा को खतरे में इस षणयन्त्र को रोकने में सरकार असफल रही है। पूर्णिया जिले के मुस्लिम बहुल बायसी प्रखंड में गत वर्ष मई में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को एक भीड़ ने जला दिया था

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

और उन्हे गॉव छोड़ने की धमकी दी थी। जिले का माहौल कैसा है इसका प्रमाण यह है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सीमावर्ती जिलों में धुसपैठियों के बारे मे सूचना देने के लिए कुछेक को छोड़कर किसी जिले के प्रशासन ने न तो कोई विज्ञापन दिया और न ही किसी ने यह कहा कि उनके यहां बांग्लादेशी धुसपैठिये हैं साफ है कि बांग्लादेशी धुसपैठ के कारण पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तथा अररिया के अनेक प्रखंड मुस्लिम बहुल प्रखंड हो गए है। इससे हिन्दू पलायन को बाध्य है।"[3]

इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि किसी बाहरी धुसपैठिए की वजह से कोई हिन्दू अपने गॉवों एवं शहरों को छोड़ने को बाध्य हो। हिन्दू अपने गॉवों एवं शहरों से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पलायन को बाध्य है। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेशी धुसपैठियों ने बंगाल व अन्य राज्यों में जहां वे बहुसंख्य संख्या में रह रहे है आतंक मचा रखा है। जिसकी वजह से वहां रहने वाले हिन्दू अपनी जमीनें, मकानों को औने–पौने दामों पर बेचकर किसी दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर है।

"सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017 में भारत में वैध तरीके से आने वाले और वीजा खत्म होने के बाद भी रहने वालों की संख्या तकरीबन 26 हजार थी। साल 2018 में ऐसे बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 50 हजार हो गई थी और साल 2019 में ये संख्या घटकर तकरीबन 35 हजार रह गई। नित्यानंद राय ने ये भी बताया कि बांग्लादेश से अवैध तरीकों से भारत में घुसने वाले अप्रवासियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें से सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में हुए है। 2017 में भारत–बांग्लादेश की सीमा पर 1175 लोग पकडे गये थे। 2018 में 1118 और साल 2019 में 1351 लोग पकड़े गये थे।

देश में आने वाले उन अवैध अप्रवासियों की संख्या जो भारत–बांग्लादेश सीमा पर पकड़े गये और सरकार को प्राधिकारियों को सौपें गये/निर्वासित किए गए।

राज्य	2017	2018	2019	2020 (27.01.2020)
पश्चिम बंगाल	992	900	1167	74
असम	11	11	8	0
मेघालय	47	39	43	1
मिजोरम	3	3	1675	0
त्रिपुरा	122	165	120	8
कुल	**1175**	**1118**	**1351**	**83**

82 फीसदी लोग पश्चिम बंगाल के बार्डर पर पकड़े गए। गौरतलब है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, में ही ऐसे लोगों को भारत सरकार ने पकड़ा है।"[4]

ये तो सरकारी आंकड़ा है इससे कहीं अधिक संख्या अवैध बांग्लादेशियों की है जिसके आंकड़े उपलब्ध नही हो पाते है। शायद इस समय इनकी संख्या 2 करोड़ के पार है। बंगाल व सटे अन्य राज्यों में धुसपैठियों ने वहां रहकर अवैध तरीकों से दलालों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि बनवा लिये है तथा अब तो वे वहां होने वाली चुनावों को भी प्रभावित कर रहे है। पश्चिम बंगाल के साथ कुछ अन्य राज्य ऐसे है जहां के चुनाव परिणाम को बांग्लादेशी धुसपैठिये प्रभावित करते है। यह राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नही है। " झारखंड में बाग्लादेशियों की धुसपैठ पर चौतरफा आवाज उठने लगी है। अब से लगभग दो महिने पहले झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केन्द्र सरकार से पूछा था कि बांग्लादेशी धुसपैठिये झारखण्ड मे कैसे प्रवेश कर रहे हैं ? क्या केन्द्र को इसकी जानकारी है ? अब तो राज्यपाल सी0वी0 राधाकृष्णन ने भी गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यह बहुत खतरनाक है। विदेशियों की धुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवनशैली बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अक्सर बांग्लादेशी धुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहते है। आम लोग भी मानते है कि झारखंड का संथाल परगना इलाका बांग्लादेशी धुसपैठियों का सुरक्षित पनाहगार बन गया है।"5 यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाती रही है।

"अवैध बांग्लादेशी धुसपैठियों को रोकने के लिए कदम– केन्द्रिय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 26 जुलाई 2022 को कहा था कि पिछले पांच वर्षो में 2399 बांग्लादेशी नागरिकों को धोखाधड़ी से हासिल भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया है। उन्होंने बताया था कि केन्द्र ने राज्य सरकारों से भारत मे रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा है। राय ने कहा था कि राज्यों को उन अवैध प्रवासियों का विवरण साझा करने की भी सलाह दी गई है, जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड हासिल किए है, ताकि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जा सके। पूर्व केन्द्रिय गृह राज्य मंत्री किरेन रीजिजू ने 16 नवम्बर 2016 को संसद को सूचित किया था कि उपलब्ध इनपुट के अनुसार भारत में लगभग दो करोड़ बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे है।

सीमापार बाड़ लगाने का काम 2024 तक पूरा होगा

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर धुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने वहां बाड़ लगाने का काम शुरू कराया है। रिपोर्ट मे कहा गया है भारत सरकार ने सीमा पर से अवैध आव्रजन और गैरकानूनी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए भारत, बांग्लादेश सीमा पर दो चरणों में लड लाईट के साथ बाड़ लगाने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट मे आगे कहा गया है कि बाड़ लगाने से सम्बन्धित सभी कार्य मार्च 2024 तक पूरे किए जाने है।

जनसंख्या के कारण सीमा पर बाड़ लगाने मे समस्या– रिपोर्ट के अनुसार अप्रत्यक्ष अवरोधक में तकनीकी उपाय शामिल होगें, जबकि पुरानी प्रत्यक्ष बाड़ों को नई डिजाइन वाली बेहतर बाड़ से बदलने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदियों और निचले इलाकों सीमा के 150 गज के दायरें में बसावट, भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों और सीमावर्ती आबादी के विरोध के कारण भारत–बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों मे बाड़ लगाने के काम में कुछ समस्यायें आई है और इस परियोजना में देरी हुई।"[6]

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

अवैध बांग्लादेशियों का भारत से विस्थापन आज देश के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है इसका निराकरण किया ही जाना चाहिए। यह सत्य है कि ऐसे किसी कदम का संकीर्ण राजनीतिक कारणों से विरोध किया जाएगा लेकिन उसे दर किनार करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चूंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व केन्द्र सरकार पर है और उसने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त अधिकार भी प्रदान किये है अतः घुसपैठ को रोकना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आज जब भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और बढ़ती जनसंख्या के चलते देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तब फिर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश की सीमावर्ती राज्यों में कही से कोई भी घुसपैठ न होने पाए। देश में बढ़ रही बांग्लादेशियों की अवैध जनसंख्या ने देशहित में सोचने वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जो देश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए है। सरकार का सीधा इनको बेदखल करने की कोई योजना नही है।

निष्कर्ष– वर्तमान समय में राज्य सरकारों को चाहिए कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को इनकी पहचान कर इन्हे वापस उनके देश बांग्लादेश भेज देना चाहिए। अगर राज्य सरकारों ने इन अवैध बांग्लादेशियों को समय रहते देश से बाहर उनके देश न भेजा तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा।

देश के अलग–अलग प्रांतो में अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर इनको अपने देश तुरन्त भेजना चाहिए। इन बांग्लादेशियों की जांचकर इनके द्वारा बनवाए गये अवैध, आधार कार्ड, एवं राशनकार्ड व अन्य अवैध दस्तावेजों को तुरन्त रद्द किया जाना चाहिए। देश के तमाम राजनीतिक दलों को चाहिए राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एकजुट होते हुए देश के अन्दर जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे है उनकी सही जानकारी प्राप्त कर उन्हे समय रहते उन्हें उनके देश वापस भेज देना चाहिए तथा अवैध दस्तावेज बनाने में सहयोग करने वालों एजेन्टो एवं दलालों की पहचान कर उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। देश के विभिन्न प्रान्तों मे रहने वाली जनता को भी चाहिए कि वे अपने आस पड़ोस में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें स्थानीय पुलिस को बताने का कष्ट कर, जिससे कि प्रशासन इन अवैध बांग्लादेशियों तक आसानी से पहुंच सके तथा इनके खिलाफ उचित कार्यवाही कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी न्यूज भारत, आजतक एप से, आदित्य बिड़वई, नई दिल्ली, 31 जुलाई 2018.
2. संकट खड़ा करते बांग्लादेशी घुसपैठिए, बिहार के भी कुछ इलाकों में इनकी बढ़ती संख्या चिंता का विषय, जागरण एप से संपादकीय पृष्ठ (प्रवीण प्रसाद सिंह) 21 सितम्बर 2022.
3. वही ।
4. बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार और बी0जे0पी0 के आंकड़ें टीम बी0बी0सी0 हिन्दी न्यूज एप से नई दिल्ली 6 फरवरी 2020.
5. बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल जायेगी झारखण्ड की डेमोग्रेफी, बी0जे0पी0 और हाईकोर्ट के बाद अब राज्यपाल ने भी जताई चिंता, नवभारत टाइम्स एप से, ऋषिकेश नारायण सिंह, 26 जुलाई 2023.
6. टी0वी0 9 भारतवर्ष एप से 14 नवम्बर 2022.

*****